



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 35/2025

दिनांक: 31.07.2025

अधीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार स्थानान्तरण / पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री उमेश शर्मा	13.09.90	कार्यग्रहण पर (सीबीआई, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर)	सीजीएसटी, जोधपुर
2.	श्री सुनील कुमार नवल	20.09.67	सीजीएसटी, जोधपुर	अपील्स, जयपुर (सीजीएसटी, जोधपुर से ऋण आधार पर)
3.	श्री नीरज बसवाल	09.06.90	सीजीएसटी, उदयपुर (चित्तौड़गढ़)	अपील्स, जयपुर (सीजीएसटी, उदयपुर से ऋण आधार पर)

2. क्रम सं. 1 पर उल्लेखित अधिकारी को दिनांक 31.07.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए स्थान पर कार्यग्रहण करें। क्रम सं. 2 एवं 3 पर उल्लेखित अधिकारियों को दिनांक 08.08.2025 तक कार्यभारमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जोधपुर/ उदयपुर/ अपील्स, जयपुर।
2. उप/ सहायक आयुक्त, सीजीएसटी संभाग, चित्तौड़गढ़।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. सम्बंधित अधिकारी।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।